

उपखण्ड अधिकारी माण्डल

7-2-23

पञ्जाबली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित विपक्षीगण 1, 2, 5, 7, 9, 12, 13, 14, 18 के सम्मन बाद तामिल होस्त्र जॉन्ट हुए जिले शां पर किये गये। वकील प्रार्थी विपक्षीस 3, 4, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17 के विकट कोर् कार्यवाही नली चाहते हैं विपक्षीगण को कितनी बार ऊफ-ऊफ कर आवाजे डिलायी जाने के बाद भी उपस्थित नहीं। इनके विकट एक तरफा कार्यवाही किये जाने के शोडश किये जाते हैं। वकील प्रार्थी का शां पर स्वीकर किया जाकर निर्णय सुपक से लिखा जाकर शां पर किया गया। पञ्जाबली फॅटल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला नीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

अधिकारी- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

संख्या- 108/22 प्रा0पञ

ब्लॉक-5/08 सी केयू रेगर् निवासी-बागोर तहसील-माण्डल

-प्रार्थी

बनाम

माण्डल-5/08 सी केयू रेगर् निवासी-लक्ष्मणगढ़ केलोनी बागोर तहसील-माण्डल (राज0)
(सुप्रीम कोर्ट का आदेश)

-विपक्षीयगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :- 07-02-23

::आदेश::

प्रार्थना पत्र से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन ग्राम बागोर पटवार हल्का बागोर-I तहसील माण्डल में उसके खाते की आरजी नं. 7600/359 कुल कित्ता 01 रकबा 0.5059 हेक्टर है। दादग्रस्त भूमि के विपक्षीयगण के मध्य आरजी मुतदायिवा के सामा चिन्ह नहीं होने से आये संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 04-05-22 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को प्रार्थी से यह बात सिद्ध है कि दादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढ़ी कराने का है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थी का स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम बागोर पटवार बागोर-I तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं. 7600/359 कुल कित्ता 01 रकबा 0.5059 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी हेतु पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु भू-अभिलेख बागोर को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने की मौजूदगी में मौके व गड्ढों की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील विन्दु को आधार पत्थरगढ़ी की जायें। फसल खेती होने पर पत्थरगढ़ी नहीं की जायें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिनांक में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा